...ायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद, जिला–प्रतापगढ

पीठासीन अधिकारी – विजयेश कुमार पंड्या (R.A.S.)

दायर दिनांक :– 20.12.2018

प्रकरण संख्या – 84 / 18

निर्णय दिनांक :– 04.09.2019

श्रीमती तुलसी बाई पुत्री नन्दलाल डांगी
निवासी चूपना तहसील अरनोद — प्रार्थीया

–:: बनाम ::–

— अप्रार्थी

तहसीलदार अरनोद

धारा 136 एल0आर0ए0

उपस्थित :– 1– श्री विजेन्द्र सिंह राठौड़ अभिभाषक प्रार्थी

–:: निर्णय :–

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि राजस्व खाता वाके ग्राम बागाखेडी पटवार हल्का नोगावां के खाता सं0 54 में स्थित आ0न0 68 रकबा 1.03 है0, आ0न0 73 रकबा 0.28 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.31 है0 भूमि पर प्रार्थीया मालिक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं। प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के पश्चात् उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीया का नाम विरासत से इन्तकाल से दर्ज रिकार्ड हुआ तब से प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं। विरासत के नामान्तरण में प्रार्थीया तुलसी बाई का नाम गलती से तुलसी बाई के बजाये बचपन का बोलता नाम भगवती बाई दर्ज रिकार्ड हो गया और उसी अनुसार वर्तमान रोटेशन में भी तुलसीबाई के बजाये भगवतीबाई के नाम से दर्ज रिकार्ड होकर खाता भगवती बाई पुत्री नन्दलाल डांगी सा देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ जो गलत हैं। प्रार्थीया का अन्य सरकारी रिकार्ड यथा परिचय पत्र, राशनकार्ड, इत्यादि से तुलसी बाई दर्ज रिकार्ड हैं। लेकिन राजस्व रिकार्ड में तुलसीबाई के बजाय भगवती बाई होने से प्रार्थी को उक्त आराजीयात से सरकारी अथवा गैर सरकारी योजनाओं में बैंक से ऋण या अन्य सुविधाओं का लाभ लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। इसलिये प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड भगवती बाई के बजाय तुलसीबाई संशोधित किया जावे। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत संलग्न हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को सम्मन जारी किया गया। विपक्षी उपस्थित हुए एवं जवाब प्रस्तुत किया। अनुसार नाम संशोधन हेतु पटवारी पटवारी पटवार हल्का नौगावां से रिपोर्ट की गई। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसार खाता संख्या 54 श्रीमती भगवतीबाई पिता नन्दलाल डांगी पति बद्रीलाल डांगी सा0 चूपना खातेदार नाम दर्ज हैं। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड इत्यादि में प्रार्थीया का नाम तुलसीबाई पिता नन्दलाल हैं। भामाशाह कार्ड के एकनोलेजमेंट स्लीप अनुसार तुलसीबाई के पिता का नाम नन्दलाल डांगी एवं पति का नाम बद्रीलाल डांगी होना स्पष्ट हो रहा है। इसके अलावा गवाहों भंवरलाल पिता कारूलाल डांगी निवासी चुपना, भेरूलाल पिता भगवानजी डांगी निवासी चुपना, अनिल पिता जीवराज डांगी निवासी चुपना व बद्रीलाल पिता बालुराम डांगी निवासी चुपना के बयानों में भी तुलसी ही नन्दलाल डांगी की एक मात्र सन्तान भगवती बाई होना स्वीकारा गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार तुलसीबाई ही भगवती बाई होना बताया हैं। अतः संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार रिपोर्ट तथा गवाहों के बयानों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर आदेश दिया जाता हैं कि मोजा बागाखेडी के राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 54 में प्रार्थीया का नाम भगवतीबाई से तुलसीबाई किया जाकर श्रीमती भगवतीबाई पिता नन्दलाल डांगी पति बद्रीलाल डांगी सा0 चूपना खातेदार के स्थान पर **तुलसी बाई पिता नन्दलाल डांगी पति बद्रीलाल डांगी** दर्ज रिकार्ड किया जावें। तहसीलदार अरनोद को तहरीर जारी है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

4/9/19

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद